

3/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी इर्शाखान
नहीं। न्यायालय समझ में रुई का ब्याज ब्याजों
आने पर भी वकील प्रार्थी व प्रार्थी इर्शाखान नहीं
आये। पत्रावली अदम फकी अदम राज जी से उकीयन
की जाती है। पत्रावली कसबे गुमार हो कर कादतदतीय
वकील दाखिल हफ्ता में।

AM

